न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं. अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल	बनाम	गैर सायल
राजस्थान सरकार	श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री मिनेकर	
जरिये पटवारी हल्का	कौम मुसलमान निवासी खलीफ (बी)	
खलीफे की बावड़ी	तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर	

''निर्णय'' दिनांक 23/04/18

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खलीफे की बावड़ी मे धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं । कि गै. सा. ने मौका खलीफे की बावड़ी के खसरा नं. 368/272 रकबा .... बीघा .... में से 1.13 बीघा किस्म गैर मु. रास्ता राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया हैं । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिर्पोट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंधन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी धोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये .... पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 पूर्णांक में पचास रुपये रुपये .... अक्षरे रु. .... मात्र से आरोपित किया जाता है । जो गैर सायल से वसूल हो ।

निरीक्षक भू.अ. वृत .... को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे ।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रुप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रुप से एक माह में पेश करें ।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें ।

निर्णय दिनांक 23/04/18 को सरेआम सुनाया गया ।

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाड़मेर

जुर्माना 50/- फसल नि. ....
कुल योग 50/- रजि. के पृष्ठ सं. 8
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया ।

तहसील राजस्व लेखाकार

फर्द मौका

xxx

माननीय न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़ में अन्तर्गत धारा 91 RLR Act 1956 के तहत दर्ज प्रकरण सं० 04/18 में पारित निर्णय दिनाँक 10.04.18 की पालना में आज दिनाँक 13.04.18 को ग्राम खच्चरखड़ी के खसरा नम्बर 368/272 पर समक्ष मौतबरानों के मौके ~~बार~~ पर पहुँचा। उक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमी अब्दुलहक S/o चिरैमान द्वारा नाजायज काश्त कर बोई गई जीरा की फसल में पशुओ को छोड़कर नष्ट कराई गयी।

फर्द उपस्थितों को पढ़कर सुनाई गई। फर्द सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगूठा किये।

[illegible]
प०[illegible]

अब्दुल हक

नि० हाथ

नवाब

सलीम

नि० [illegible]

मूसा

जमाल

जुनस